चुनाव में बाहुबल (Muscle power) और हिंसा का प्रयोग, मतदान केन्द्रों पर कब्जा और जाली मतदान – यह चुनावों की एक अत्यधिक गम्भीर त्रुटि और समस्या है और इसे सीमित करने के विविध उपाय किये जाने पर भी समय के साथ यह बढ़ती चली जा रही है। चुनाव में बाहुबल और हिंसा के प्रयोग की सबसे अधिक प्रवृत्ति तो बिहार राज्य में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, प. बंगाल, जम्मू-कश्मीर तथा विविध महानगरों का झोपड़पट्टी क्षेत्र आता है। हिंसा के प्रयोग से जुड़ी हुई ही एक अन्य स्थिति चुनाव में शराब की शक्ति का प्रयोग है। 1984 के लोकसभा और 1985 के विधानसभा चुनावों में 'विशेष सुरक्षा व्यवस्था' और सभी एहतियाती उपाय किये जाने के बावजूद चुनाव में हिंसा के प्रयोग और चुनाव के दिन 'मतदान केन्द्रों पर कब्जा किये जाने की घटनाएं पहले से कम नहीं हुईं। अकेले बिहार राज्य में 2 और 5 मार्च, 1985 के मतदान के दिन 50 से अधिक व्यक्ति हिंसा की बलिवेदी पर चढ़ गये, घायलों की संख्या तो इससे बहुत अधिक थी-बिहार के 34,472 मतदान केन्द्रों पर अर्द्धसैनिक बल का पहरा था, लेकिन आम नागरिक इससे भी अपने आपको सुरक्षित नहीं पाता था, लेकिन इन पहरेदारों की आंखों के सामने ही बन्दूकधारी मतदान केन्द्रों पर कब्जा करते रहे, मतों पर मुहर लगाते रहे और लोगों से मारपीट करते रहे। 1969 में बिहार में 80 बूथ लूटे गये जबकि 1990 के विधानसभा चुनावों में यह आंकड़ा 1231 पर जा पहुंचा। ऐसी स्थिति में शान्ति पसन्द विवेकशील व्यक्ति जिनके मत का सबसे अधिक महत्व है, अपने मताधिकार के प्रयोग से घबराते और कतराते हैं। यह तथ्य है कि बिहार में बन्दूक और माफिया गिरोह के बलबूते पर चुनाव लड़े जाते और जीते जाते हैं और बिहार पुलिस इसे रोकने का प्रयत्न करने के बजाय इसमें योग देती है। उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों और अन्य कुछ राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। 1990 के आम चुनाव में राज्य में 26 हत्याएं, 22 हत्या की कोशिशें और 38 लूटपाट की घटनाएं हुई जिससे 695 मतदान केन्द्रों पर फिर से चुनाव करवाना पड़ा । “चिन्ताजनक बात यह देखने में आयी कि चुनावी हिंसा का दानव आम तौर पर शान्त समझे जाने वाले दक्षिण में भी फैल गया। आंध्र में चुनावी हिंसा तीन जाने ले ली और कई लोगों को घायल किया। कर्नाटक मेंकुछ व्यक्ति घायल हुए।” 1984 के चुनावों में 48 लोग मारे गये थे जबकि 1989 में बम विस्फोट, छुरेबाजी और गोली चलाने से 197 लोगों की मृत्यु हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा हिंसा की रोकथाम के लिए सभी प्रयत्न किये जाने के बावजूद जब यह सब हुआ, तो 5 मार्च, 1985 को मतदान की समाप्ति पर उन्होंने खीझकर कहा– “जब तक राजनीतिक दल हिंसा के खिलाफ एक होकर जनमत जाग्रत नहीं करते, चुनाव आयोगतथा प्रशासन बौना और पंगु बना रहेगा-समस्या का समाधान चुनाव आयोग को अधिक अधिकार देने से नहीं वरन् स्थानीय स्तर पर राजनीतिज्ञों और अवांछित तत्वों में सांठ-गांठ समाप्त करने से होगा।" मई-जून 1991 के लोकसभा चुनावों के समय चुनावी हिंसा में 272 लोग मारे गये और लगभग 3,363 चुनावी हिंसा की घटनाएं हुईं। इसकी तुलना में फरवरी 1998 में सम्पन्न 12वीं लोकसभा चुनावों में 65 लोग मारे गये और 2,450 चुनावी हिंसा की घटनाएं हुईं। चुनाव में बाहुबल और हिंसा का प्रयोग 'धन की बढ़ती हुई भूमिका' की तुलना में भी अधिक चिन्ताजनक स्थिति है और इस स्थिति की रोकथाम

के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्रमुख रूप से दिये जा सकते हैं।

प्रथम, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में हिंसा और बल प्रयोग की आशंका हो, वहां स्थानीय पुलिस को समस्त निर्वाचन क्षेत्र से पूर्णतया दूर रखते हुए अन्य राज्यों की पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बल पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाना चाहिए और उसे स्थिति से निबटने के लिए सभी आवश्यक अधिकार दिये जाने चाहिए। द्वितीय, एहतियात के तौर पर दो दिन के लिए समस्त निर्वाचन क्षेत्र में आग्नेय अस्त्रों एवं अन्य हथियारों के लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध न केवल लगाया, वरन् कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिए। तृतीय, मतदान के दिन से दो दिन पहले से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। चतुर्थ, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हिंसा, बाहुबल की शक्ति, भ्रष्ट साधन अपनाये जाने के आधार पर चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जायें, सम्बन्धित अदालतों के लिए 6 माह या अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि में उन पर निर्णय करना अनिवार्य कर दिया जाय। प्रत्यक्ष या परोक्ष में दोषी पाये गये व्यक्तियों पर सदैव के लिए कोई भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और जिस किसी सरकारी कर्मचारी पर अपराधी के साथ सहयोग करने पर कर्तव्य पालन में ढिलाई बरतने का आरोप सिद्ध हो, उसके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। उपर्युक्त व्यवस्था करने के लिए कानूनी ढांचे में जो भी संशोधन परिवर्तन करना जरूरी हो, वह सभी कुछ किया जाना चाहिए।चुनाव में बल प्रयोग की सभी स्थितियों का मूल कारण यह है कि तथाकथित जन प्रतिनिधि, प्रशासन और गुण्डा तत्व के बीच गठबन्धन की स्थिति बन गयी है। अनेक तो ऐसी स्थितियां देखी गयी हैं, जिनमें तस्कर, माफिया और गुण्डा तत्व मन्त्री या जन प्रतिनिधि से आश्रय पाता है और प्रशासन पर हावी है। 'सेवाओं और प्रशासन का राजनीतिकरण' इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है और इसे दूर करने के लिए समस्त व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है।

जाली मतदान-बल प्रयोग और मतदान केन्द्रों पर कब्जे से ही जुड़ी हुई एक स्थिति जाली मतदान है और 'यह चुनाव(नौवीं लोकसभा का चुनाव) जाली मतदान में तो शायद पिछले सभी रिकार्ड तोड़ गया। इस बात में सच्चाई है और लोकतन्त्र के लिए चिन्ता की बात यह है कि जाली मतदान व्यापक रूप से संगठित स्तर पर होता है।

इस स्थिति को रोकने के लिए मतदाताओं को 'फोटोग्राफी से युक्त पहचान पत्र' (Identification Card) दिये जाने चाहिए। इसके साथ ही जाली मतदान को भ्रष्ट आचरण घोषित कर दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर निर्वाचन अवैध घोषित कर सके। निर्वाचन कानून में ऐसा संशोधन करना भी जरूरी है। जिसके

फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी के लिए जाली मतदान में संलग्न व्यक्ति को पुलिस को सौंपना और थाने में आवश्यक शिकायत दर्ज करना अनिवार्य हो जाय।

4. निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या- अब तक के सभी चुनावों में एक समस्या निर्दलीय उम्मीदवारों की एक बड़ी संख्या ने पैदा की है। यह बड़ी संख्या चुनाव व्यवस्था करने में कठिनाइयां पैदा करती है और समस्त चुनाव दृश्य को धुंधला भी कर देती है। अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवार तो मखौल के रूप में चुनाव लड़ते हैं या कई बार वे प्रमुख उम्मीदवारों से चुनाव मैदान से हटने के लिए धनराशि प्राप्त करने की आशा में उम्मीदवार बन जाते हैं।

यद्यपि कुछ क्षेत्रों की ओर से प्रेरित इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि निर्दलीय रूप से चुनाव पर कानूनी रोक लगा देनी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ अवश्य किया जाना चाहिए, जिससे 'मखौल' के रूप में चुनाव लड़ने पर रोक लगे। इस सम्बन्ध में यह सुझाव विचारणीय है कि जमानत की रकम कम से कम दस गुना बढ़ा दी जानी चाहिए अर्थात् लोकसभा के लिए 500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये और विधानसभा के लिए 250 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जानी चाहिए।